

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(7)राज/वाद/2024 पार्ट  
समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/  
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/  
विभागाध्यक्ष।

जयपुर, दिनांक 10.09.2024

::परिपत्र::

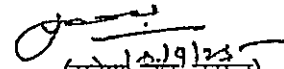
प्रायः इस विभाग के यह संज्ञान में आया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विभिन्न विभागों के लम्बित/विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों को संबंधित विभाग द्वारा लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं किये जाने के कारण उक्त न्यायिक प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त विधि अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से सम्यक रूप से पैरवी करने एवं फीस बिलों को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः समस्त विभागों निर्देशित किया जाता है कि वे उनके विभाग से संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के लम्बित/विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर एन्ट्री और अपडेशन करवाने एवं उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

हो -  
(सुरेश चंद बसंल)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउन्सिल्स/राजकीय अधिवक्तागण, जोधपुर/जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली।
4. प्रशासक वादकरण, जोधपुर/जयपुर।
5. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
- ✓ 6. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
(सुरेश चंद बसंल)  
शासन सचिव, विधि